भारत सरकार

योजना मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1749

दिनांक 13.12.2021 को उत्तर देने के लिए

देश भर में गरीबी में वृद्धि

1749. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:
श्री कुमार केतकर:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, 23 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया गया है;

(ख) क्या लोगों की निवल वित्तीय परिसंपत्ति भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 21 प्रतिशत से गिरकर जीडीपी के 8.2 प्रतिशत पर आ गई है;

(ग) क्या 25 राज्यों के 159 जिलों में सावधि जमा राशि में गिरावट देखी गई है (2020-21 की चौथी तिमाही में);

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार आम नागरिकों को पेश आ रहे भीषण आर्थिक संकट को दूर करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उठाए गए कदमों के प्रभावों से संबंधित रिपोर्ट क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री (कारपोरेट कार्य मंत्रालय)

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थान/संगठन वैकल्पिक तरीकों का अनुपालन करते हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर पूर्ववर्ती योजना आयोग ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा संकलित घरेलू उपभोक्ता व्यय पर किए गए वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का अनुमान लगाया था। एनएसएसओ द्वारा वर्ष 2011-12 में कराए गए अपने 68वें दौर में घरेलू उपभोक्ता व्यय पर वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अंतिम आंकड़ों को संकलित किया गया। इन आंकड़ों के आधार पर, पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 में मौजूदा तेंदुलकर समिति पद्धति का अनुपालन करते हुए गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का अनुमान लगाया गया था और 22 जुलाई, 2013 को एक प्रेस नोट के माध्यम से इन्हें जारी किया गया था। इस प्रेस नोट के अनुसार, 2011-12 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 27 करोड़ आंकी गई है।

(ख)और (ग): इस संबंध में प्रासंगिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ): सरकार ने देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में कमी लाने के उद्देश्य से और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई लक्षित योजनाओं की पहल की है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), के माध्यम से रोड कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि शामिल हैं।

*****